भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2092

04 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

बालिकाओं को एनसीसी प्रशिक्षण

2092.श्री श्रीधर कोटागिरी :
श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण :
श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी :
श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी :
श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ :
श्री डी.एम. कथीर आनंद :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालयों सहित अनेक विद्यालय, महाविद्यालय, बालिकाओं को राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) को प्रशिक्षण प्रदान नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत पांच पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विद्यालयों और महाविद्यालयों में एन.सी.सी. कैडेटों को संस्थागत प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख): जी, नहीं । विश्वविद्यालयों जहां पर एनसीसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है सहित स्कूलों, महाविद्यालयों में बालिका कैडेटों को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं ।

(ग): एनसीसी कैडेटों को संस्थागत प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए उठाए गए कदम निम्नवत हैं :-

(i) एनसीसी विद्यार्थियों के लिए इसे संगत और सम-सामयिक बनाने के लिए मई-जून 2019 में संस्थागत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समीक्षा की गई थी ।

(ii) 385 अतिरिक्त एसोसिएट एनसीसी अधिकारियों (एएनओ)/केयर टेकर अधिकारी (सीटीओ) को एनसीसी में 2018 में कमीशन दिया गया है ।

(iii) 05 वर्षों की अवधि में 637 अतिरिक्त बालिका कैडेट अनुदेशकों (जीसीआई) की स्वीकृति संबंधी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

(iv) एएनओ (पुरूष और महिला) के लिए बेहतर प्रशिक्षण परिणाम सुनिश्चित करने के लिए दोनों ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) अर्थात ओटीए कम्पटी और ओटीए ग्वालियर में क्रमशः 575 रिक्तियों और 130 रिक्तियों की सीमा तक अतिरिक्त रिक्तियों को पूरा कर दिया गया है ।

(v) सेना में तैनात सभी स्थायी अनुदेशक स्टाफ (पीआई) के लिए ऑरिएंटेशन ट्रेनिंग कोर्स (पीआईओसी) को संबंधित एनसीसी राज्य निदेशालयों/ग्रुप मुख्यालयों द्वारा पदावधि के प्रथम तीन माह के अंदर सुनिश्चित किया जाता है ।

(vi) संस्थान स्तरों पर निम्नलिखित क्रियाकलापों को नियमित रूप से सुनिश्चित किया जा रहा है :-

(क) कार्यक्रम के अनुसार परेड प्रति सप्ताह ।

(ख) एएनओ कार्य निष्पादन की मानीटरिंग ।

(ग) निर्धारित स्तर से कम कार्य निष्पादन वाले संस्थानों को चेतावनी देना ।

(घ) बेहतर मीडिया आदान-प्रदान के लिए स्कूल के मौजूदा क्लास रूम का उपयोग करना ।

(ङ) सभी राज्य निदेशालयों द्वारा प्रमाण पत्र परीक्षाओं का सख्त आयोजन ।

*****